न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–48/2015

CIS NO- TS-178/2018

शेख महम्मद मुसिर आलम एवं अन्य..वादीगण

बनाम

प्रभू महतो एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
23.08.2023	वादीगण की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 08.06.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–04 बीबी चॉंदतारा की मृत्यु दिनांक 26.03.2020 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत वादी सं0–04 बीबी चॉंदतारा अपने पीछे अपने पति नुरूल होदा एवं दो पुत्र गुलबेज आलम एवं गुलरेज आलम को विधिक वारिसानो के रूप में छोडकर मरी है। अतः वादपत्र से वादी सं0–04 बीबी चॉंदतारा का नाम कलमजद करने तथा मृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करे। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–04 बीबी चॉंदतारा की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादीगण द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किया है तथा विलंभ माफी हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया है। वादीगण का आवेदन समय सीमा से दाखिल नही किया गया है फिर भी न्यायहित में वादीगणों का आवेदन मो0–500/– हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत वादी सं0–04 बीबी चॉंदतारा का नाम कलमजद करें तथा	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–48/2015</u>

<u>CIS NO- TS-178/2018</u>

शेख महम्मद मुसिर आलम एवं अन्य...वादीगण

बनाम

प्रभू महतो एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 23.08.2023	आवेदनानुसार मृतक के विधिक प्रतिनिधियों का नाम प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक 23.09.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	